IndusInd Bank
"चल संपत्ति/संपत्तियों की नीलामी हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना"

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) के प्रावधान के साथ पठित, बंधक रखी गई चल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) एवं गारंटर (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित चल संपत्तिसंपत्तियां, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास हाइपोथीकेटेड हैं, जिनका भौतिक कब्जा इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को "जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है जैसा है" के आधार पर दिनांक 20.08.2026 को सुबह 10.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक बेचा जाएगा। नीलामी ऑनलाइन माध्यम से निम्नलिखित वेबसाइटों के द्वारा ई-नीलामी के रूप में आयोजित की जाएगीः

"वाहन/वाहनों का विवरण निम्नानुसार है"

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता का नाम	वाहन पंजीकरण संख्या	वाहन मॉडल	वाहन निर्माता	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	शाखा के संपर्क व्यक्ति	शाखा मोबाइल नंबर
1	DMB00211	आराध्या कंस्ट्रक्शन एंड अर्थमूवर्स / एच निर्मला	UP17BT4065	TATA SIGNA 3530TK BS6 FULLY BUILT TIPPER	टाटा	1284500	128450	अनिल कुमार	9250000540

ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें संबंधित नीलामी पोर्टल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। किसी भी अतिरिक्त विवरण के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर शाखा से संपर्क करें। बैंक को नीलामी रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है। आरक्षित मूल्य की 10: ईएमडी राशि ऑनलाइन बोली जमा करने से पहले उपरोक्त शाखा के पक्ष में इंडसइंड बैंक लिमिटेड के नाम से डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा की जानी चाहिए।

स्थानः एर्नाकुलम, दिनांकः 30.07.2026 — अधिकृत अधिकारी, इंडसइंड बैंक लिमिटेड

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अनुसूचित हस्ताक्षरकर्ता, जो कि गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, का अधिकृत अधिकारी है, जिसे आगे चलकर ऊपर के कॉर्पोरेट/पंजीकृत कार्यालय के सुरक्षित लेनदार के रूप में संदर्भित किया गया है, और वित्तीय संपत्तियों के सैक्योराटाइजेशन और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज की प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे चलकर "उक्त अधिनियम" कहा जाएगा) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) और सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार नीचे दिनांकित मांग नोटिस जारी किया, जिसमें नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं से कहा गया कि वह नोटिस में उल्लिखित राशि नोटिस प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुका दें।
उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा आज 25 जुलाई 2026 को ले लिया है।
उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से निपटने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ किसी भी तरह के लेन-देन पर सुरक्षित ऋणदाता को उस पर राशि और ब्याज का भुगतान करना होगा। उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्शित किया जाता है। कब्जे में ली गई संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रं. सं.	उधारकर्ताओं का नाम	संपत्ति का विवरण	कब्जा लेने की तारीख	वैधानिक मांग सूचना की तारीख	मांग सूचना में राषि (रुपये)
1	माखन दुर्गा, भगवान देवी, सोनू माखन	गाटा संख्या 38 ग्राम रामपुरा प्रवीण, परगना एवं तहसील फरीदपुर, जिला बरेली में स्थित प्लॉट का समस्त भाग एवं पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 125.41 वर्ग मीटर है और जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं:– पूर्व– प्लॉट रमेश्वर दयाल, पश्चिम– नाला, उत्तर– अन्य व्यक्ति का प्लॉट, दक्षिण– 15 फीट चौड़ा रास्ता	25/07/2026	11/05/2026	ऋण संख्या HL00604000000005049693 रु. 836124/– (रुपये आठ लाख छत्तीस हजार एक सौ चौबीस मात्र) दिनांक 11/05/2026 तक देय है, साथ ही वसूली तक 15.6: प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित।

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की विवरण में कोई अंतर है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की विवरण मान्य होगी।

स्थानः उत्तरप्रदेश दिनांकः 31-07-2026 — हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,

---

अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन नं. U74999DL2002PLC117052
ए-270, प्रथम एवं द्वितीय तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
ईमेलः admin@alchemistarc.com, वेबसाइटः www.alchemistarc.com

शुद्धिपत्र

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उधारकर्ता "कौसर जहाँ", ऋण खाता संख्या "**PR01431402**", से संबंधित सार्वजनिक सूचना, जो दिनांक "19 जनवरी 2026" को समाचार पत्रों "वित्तीय एक्सप्रेसतथा "जनसत्ता"" में प्रकाशित हुई थी, में 'सरफेसी अधिनियम, 2002" की धारा "13(2)" के अंतर्गत जारी मांग नोटिस की तिथि में अनजाने में त्रुटि रह गई थी।
उपरोक्त प्रकाशित सार्वजनिक सूचना में धारा "13(2)" के अंतर्गत मांग नोटिस की तिथि गलत अंकित हो गई थी। अतः सही विवरण निम्नानुसार पढ़ा जाएः
धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस की तिथिः "18 दिसंबर 2025"
पूर्व में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना की अन्य सभी विषय-वस्तु एवं विवरण यथावत एवं अपरिवर्तित रहेंगे।

"दिनांकः 31.07.2026 "हस्ताक्षरित/-" "प्राधिकृत अधिकारी"
"स्थानः" उत्तर प्रदेश अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड"
(अल्केमिस्ट XLVII ट्रस्ट के न्यासी के रूप में कार्य करते हुए) सुरक्षित ऋणदाता"

फॉर्म सं. यूआरसी- 2
अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार]

1. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में इस तिथि के 15 दिनों के बाद लेकिन इसके बाद के तीस दिनों की समाप्ति से पहले **हरियाणा** स्थित रजिस्ट्रार के समक्ष एक आवेदन करने का प्रस्ताव है कि **फेरम प्रिसिजन इंडस्ट्रीज एलएलपी**, जो कि एक सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) है, को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।
2. कंपनी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैंः
"स्टील प्लांट और मशीनरियों के रखरखाव, मरम्मत, ओवरहालिंग और संचालन का व्यवसाय करना, और सभी प्रकार की स्टील मशीनरियों, उपकरणों तथा स्पेयर पार्ट्स को खरीदना, बेचना, आयात करना, निर्यात करना या व्यापार करना।"
3. प्रस्तावित कंपनी के ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रारूप की एक प्रति का निरीक्षण कार्यालय के पतेः **ई-115 जीएफ, सुशांत आर्केड ब्लॉक बी, सुशांत लोक फेज 1, गुड़गांव, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत,** 122009 पर किया जा सकता है।
4. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आपत्ति जताने वाला कोई भी व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस (21) दिनों के भीतर अपनी आपत्ति लिखित रूप में **रजिस्ट्रार, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड**-122050 को भेज सकता है, जिसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेजनी होगी।

दिनांकः 31 जुलाई, 2026 — आवेदक का नाम: हर्ष आनंद

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8-(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल-एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर सूचना में सांकित राशि के प्रतिभुगतान हेतु एक माँग सूचना निर्गत की गई थी। ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहां इसमें निम्न अंकितानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल के प्रभाराधीन होगा। "उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, यदि उधारकर्ता विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं उपगत व्ययों के साथ "आईआईएफएल-एचएफएल" को देय धनराषियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में "आईआईएफएल-एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और "आईआईएफएल-एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयार्थ कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया देयराषि (रु.)	माँग सूचना की तिथि	अधिग्रहण की तिथि
श्री दिनेशचंदर श्रीमती ममता, दिनेश चंदर, (प्रॉस्पेक्ट नं.: IL10518350)	संपत्ति गाटा संख्या 1558 का वह पूरा हिस्सा और भूखंड जो मोहल्ला मढ़ैया, कांठ टाउन एरिया बाहर, कांठ, परगना कांठ तहसील सदर, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश 242223 में स्थित है। वर्ग फुट में मापा गया क्षेत्रफल : संपत्ति का प्रकार : मापा गया क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल : 775	रु. 442322.00/– (रुपये चार लाख बयालीस हजार तीन सौ बाईस मात्र)	15/04/2026	28/07/2026

अन्य विवरणों के लिये कृपया प्राधिकृत अधिकारी से शाखा कार्यालय : 1017, दसवीं मंजिल, साइबर हाइट्स, टीसी 2/2 तथा टीसी 5/5, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010 अथवा कार्पोरेट कार्यालय : आईआईएफएल टॉवर, भूखण्ड सं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा से संपर्क करें।

स्थान : शाहजहांपुर दिनांक : 31-07-2026 — हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
Hero Housing Finance

संपर्क पताः कार्यालय संख्या 510-ए, 5वीं मंजिल, साइबर हाइट्स, प्लॉट संख्या टीसी/जी-2/2 और टीसी/जी-5/5, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226010 – एवं
पंजीकृत कार्यालय : 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057
फोनः 011 49267000 टोल फ्री नंबरः 1800 212 8800
ईमेल: customer.care@herohfl.com वेबसाइटः www.herohousingfinance.com सीआईएन : [illegible]

कब्जा-सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमन, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि अधोहस्ताक्षरी **हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम,** 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिन के भीतर चुकाने के लिए नीचे उल्लिखित एक मांग नोटिस जारी किया।
उधारकर्ता उक्त राशि चुकाने में विफल रहने पर, एतद्वारा विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यहाँ विवरणित निम्नलिखित, सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप में जनता को उक्त संपत्ति के साथ सौदा न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन नीचे दी गई राशि के साथ नीचे उल्लिखित तारीख से दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि **हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।
प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ऋण खाता संख्या	बाध्यताधारी (ओं)/ कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) / कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा- तिथि (रचनात्मक / भौतिक)
HHFLUCHOU 19000003820	वैभव कुमार गुप्ता, कोमल गुप्ता	19-09-2022, 19 मई 2022 तक बकाया राशि रु.13141087/–	28-07-2026 (भौतिक)

प्रतिभूति परिसम्पत्तियों /अचल संपत्तियों का विवरण– रेसिडेंशियल प्लॉट नंबर 18 और 19 (जो खसरा नंबर 1125, वार्ड राजा बिजली पासी, औरंगाबाद जागीर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है) का पूरा हिस्सा; इसका कुल एरिया 2500 स्क्वायर फीट या 232.342 स्क्वायर मीटर है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं – उत्तर – प्लॉट नंबर 20; दक्षिण – 22 फीट चौड़ी सड़क; पूर्व – 25 फीट चौड़ी सड़क; पश्चिम – खसरा नंबर 1125 का हिस्सा।

दिनांक-31/7/2026 — हस्ता.– अधिकृत अधिकारी,
स्थान- लखनऊ — कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
HINDUJA HOUSING FINANCE
कॉर्पोरेट कार्यालय : नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सालेई, सैदापेट, चेन्नई- 600015।
शाखा कार्यालय : द्वितीय तल, 212बी एवं 212बी, प्लॉट नं - टीसी/जी-2/2 एवं टीसी/जी -5/5 साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010
ईमेल : auction@hindujahousingfinance.com

आरआरएम – पुष्कर अवस्थी – 9453043399 ● सीआरएम – चंदन गोस्वामी – 9838518098
आरएलएम – बृजेश अवस्थी – 9918301885 ● सीएलएम – अमन कुमार सैनी – 7007586439

भौतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं. 3) के अंतर्गत हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तथा आगे वर्णित तिथियों को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें ऋणधारक (इसके बाद ऋणधारक तथा जमानतदारों को सामूहिक रूप से "ऋणधारक" के रूप में संदर्भित किया गया है) को उक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया था।
ऋणधारक द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, एतद्वारा ऋणधारक तथा सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों को, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 4 के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारक/जमानतदार तथा सामान्य जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के संबंध में कोई लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जो कि उपर्युक्त राशि तथा उस पर आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के साथ-साथ संविदात्मक दर पर भावी ब्याज की राशि के लिए होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	लैन नं./ऋणधारकों/ जमानतदारों के नाम एवं पते	मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि	बकाया राशि
1.	**UP/LKW/LKNW/A000000392**, नागेंद्र कुमार, **शालिनी यादव**, ग्राम-गौराचक, पोस्ट महमूदपुर, तहसील रामनगर, जिला- बाराबंकी यू.पी.- 225305	14-09-2023 / 27-07-2026 भौतिक	रु. 11,22,038/– तिथि 22-08-2023 के अनुसार तथा राशि पर ब्याज

संपत्ति का विवरण : आवासीय मकान/प्लॉट, खसरा नं. 224 मिंजुमला, ग्राम-पैसार (बाहर सीमा), नगर पालिका परिषद, परगना एवं तहसील नवाबगंज, जिला- बाराबंकी, यू.पी., उप-पंजीयक-नवाबगंज, बाराबंकी में स्थित। (क्षेत्रफल 52.95 वर्ग मीटर या 570 वर्ग फीट), सीमाएँ :– उत्तर : मकान श्याम बाबू, दक्षिण : प्लॉट रामलखन चौरसिया, पूर्व : प्लॉट श्रीमती पुष्पा देवी, पश्चिम : अन्य मार्ग।

तिथि : 31-07-2026 — प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : लखनऊ — हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
आस्ति वसूली शाखा
15 एनबीसीसी टॉवर, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
दूरभाषः (011) 26164817/26197769, फैक्सः (011) 26171554, ई-मेलः brmgr1933@bankofmaharashtra.bank.in, bom1933@bankofmaharashtra.bank.in, मुख्य कार्यालय : लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे-411005

परिशिष्ट IV
दिनांक : 28.07.2026
कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदार/गारंटर

1. मेसर्स विजय एंड कंपनी (कर्जदार)
अपने साझेदारों के माध्यम से
#255, मंगोल पुर कलां, मंगोलपुरी, रोहिणी, दिल्ली - 110085
दूसरा पताः कार्यालय नंबर 207, दूसरी मंजिल, वर्धमान फैशन मॉल, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034
तीसरा पताः मकान नंबर 181, मंगोलपुर कलां, उत्तर पश्चिम दिल्ली - 110085

2. **श्री नवीन शौकीन** (साझेदार एवं गारंटर)
मकान नंबर 181, पन्ना बिचली गली,
मंगोलपुर कलां, राजापुर कलां, दिल्ली -110085
3. **श्री विशाल शौकीन** (साझेदार एवं गारंटर)
#255, गांव मंगोलपुर कलां
राजा पुर कलां, रोहिणी, सेक्टर-7, दिल्ली -110085
4. **श्री विजय पाल शौकीन** (गारंटर एवं बंधककर्ता)
मृतक होने से, ज्ञात जीवित कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से
i. श्री विशाल शौकीन
निवासी 255, मंगोल पुर कलां, मंगोलपुरी, रोहिणी, दिल्ली - 110085
ii. श्रीमती सावित्री
निवासी 255, मंगोल पुर कलां, मंगोलपुरी, रोहिणी, दिल्ली - 110085
iii. सुश्री सीमा हुडा
निवासी आशियाना आंगन, फ्लैट नंबर एल - 324, बी - 6, नीमराना, कोटपूतली, बहरोड, राजस्थान - 301705
iv. श्री विकास शौकीन
मृतक के बाद से, ज्ञात जीवित कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से
श्रीमती पूजा शौकीन
फ्लैट नंबर 35, एमआईजी फ्लैट्स, पॉकेट 10, सेक्टर 11, रोहिणी, नई दिल्ली - 10085

से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 23,85,699.68 **(रुपये तेईस लख पिचासी हजार छः सौ निन्यानबे और अड़सठ पैसे मात्र) + 19.05.2026 से आगे 9.25% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज + एनपीए की तिथि अर्थात 27.07.2025 से लागत, शुल्क और व्यय का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए** 19.05.2026 को माँग सूचना निर्गत की थी। सूचना स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गयी थी।
कर्जदार के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 28 जुलाई, 2026 को सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से कर्जदारों/जमानतियों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार उपर्युक्त राशि के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रभार का विषय होगा।
प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों तथा जमानती का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बैंक के पास बंधक सम्पत्तियों तथा बैंक द्वारा किये गये कब्जे का विवरण निम्नानुसार है :

डीडीए का बना हुआ फ्रीहोल्ड एमआईजी फ़्लैट (नंबर 35, पहली मंज़िल, पॉकेट 10, रोहिणी सेक्टर 11, दिल्ली - 110085), जिसका साइज 80.00 वर्ग मीटर है और जो रोहिणी आवासीय योजना के लेआउट प्लान में स्थित है। इसके साथ फ़्लैट से जुड़े अधिकार और सुविधाएं भी शामिल हैं। यह फ़्लैट श्री विजय पाल शोकीन पुत्र श्री भीम सिंह का है, जो 27.02.2013 की सेल डीड नंबर 1164 के तहत उनके मालिकाना हक में है।

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र
हस्ता./–
यांगचन डोल्मा
प्राधिकृत अधिकारी तथा मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
आस्ति वसूली शाखा

तिथि : 28.07.2026

आरबीएल बैंक लिमिटेड
RBL BANK apno ka bank
पंजीकृत कार्यालयः 1ली लेन, शाहूपुरी, कोल्हापुर - 416001
राष्ट्रीय परिचालन केंद्रः 9वां तल, टेक्निप्लेक्स -1, ऑफ वीर सावरकर फ्लाईओवर, गोरेगांव (पश्चिम), मुंबई – 400062.

स्वर्ण नीलामी सह आमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ता को स्वर्ण आभूषणों ("सुविधा") के बदले आरबीएल बैंक लिमिटेड से प्राप्त ऋण सुविधा के संबंध में बकाया राशि का भुगतान करने के लिए मांग सूचना दिया गया है। चूंकि उधारकर्ता सुविधा के तहत देय राशि का पुनर्भुगतान करने में विफल रहा है, इसलिए हम 07-08-2026 को गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों की नीलामी करने के लिए विवश हैं।
इस नीलामी से यदि कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई कमी होती है, तो शेष राशि उधारकर्ता से उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से वसूल की जाएगी।आरबीएल बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के निम्नलिखित खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार है। इसके अलावा, आरबीएल बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी की तारीख बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्र. सं.	खाता संख्या	शाखा का नाम	उधारकर्ता का नाम	स्वर्ण आभूषण का विवरण (ग्राम में)	
1.	809008782631	इंदिरा नगर	विकास कुमार मिश्रा	कुल सकल वजन	9.8
				कुल अशुद्धि	0.20
				कुल नग का वजन	0
				कुल शुद्ध वजन	9.6

ऑनलाइन नीलामी 07-08-2026 को दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे भा. मा. स. तक https://egold.auctiontiger.net पर आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शनटाइगर) से 6351896640 / 7984129853 पर संपर्क कर सकते हैं।
विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया नीलामी पोर्टल पर जाएं।

स्थानः लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 31-07-2026 — आरबीएल बैंक लिमिटेड

पीपल होम फाइनेंस लिमिटेड
peoplehome
(पहले कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) सीआईएन नं. U65990DL2017PLC322041
पंजीकृत पताः 19वीं मंजिल, 19एनडब्ल्यू, द रूबी, 29 एनआर सेनापति बापट मार्ग, दादर (डब्ल्यू), शिवाजी पार्क, मुंबई, एमएच – 400028

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस,

आप नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं ने ऋण समझौते और अन्य लेनदेन दस्तावेजों ("लेनदेन दस्तावेज") की शर्तों और नियमों के अनुसार पीपल होम फाइनेंस लिमिटेड (पहले कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) ("ऋणदाता"/"सुरक्षित लेनदार") से नीचे उल्लिखित संपत्ति की सुरक्षा के विरुद्ध ऋण लिया है। आपके द्वारा की गई डिफ़ॉल्ट टिप्पणियों के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऋणदाता ने अधिनियम की धारा 13(2) और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, आपको नीचे उल्लिखित मांग नोटिस जारी किया है। इसलिए, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार नोटिस की सेवा करने के लिए वर्तमान प्रकाशन किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी(ओं) का नाम और पता, ऋण खाता संख्या और शाखा	प्रतिभूति संपत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि और एनपीए की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार देय राशि
1.	1. **सूबेदार पुत्र रामभरोसे राजवती पुत्री सूबेदार** **दोनों का पता :** 22 शिव नार, नई बस्ती, कलावती कन्या महाविद्यालय, जखई बी.ओ., फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-283203 **दोनों यहां भीः** गाटा संख्या 29 पर प्लॉट, मौजा बरकतपुर, कलावती कन्या महा विद्यालय, फिरोजाबाद एच.ओ., फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-2832023 **ऋण खाता संख्या HLNLAPAGR0019849**	600 वर्गफीट अर्थात 55.8 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का भूखंड, गाटा संख्या 29 में से, बरकतपुर, तहसील एवं जिला फ़िरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश- 283203 पर स्थित है। सभी अधिकारों के साथ (जिसमें कॉमन एरिया, सुविधाओं, सुख- सुविधाओं, डेवलपमेंट राइट्स आदि (जैसा लागू हो) का उपयोग और कब्ज़ा करने के अधिकार और उनसे जुड़ी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। सीमाएँः– पूर्वः 12 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः विक्रेता का प्लॉट, उत्तरः जयवीर सिंह फौजी का प्लॉट, दक्षिणः शीला देवी का प्लॉट,	13-07-2026 एवं 09/07/2026	10/07/2026 तक रु. 6,37,093/– (छह लाख सैंतीस हज़ार तिरानवे रुपये मात्र)
2.	**पुष्पा शुक्ला पत्नी राकेश कुमार शुक्ला धीरेंद्र कुमार पुत्र राकेश कुमार शुक्ला राकेश कुमार शुक्ला पुत्र राजेंद्र शुक्ला** **सभी का पता :** बुदेश्वर, प्रेम नगर, आदर्श विहार कॉलोनी,सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल के पास, आलमनगर बी.01, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017। **सभी यहां भीः** मकान, प्लॉट नंबर 09, खसरा नंबर 78 के ऊपर, मोहल्ला और ग्राम भुहार, वार्ड-हैदरगंज तहसील एवं जिला- लखनऊ **ऋण खाता संख्या HLNLAPLKW0016883 एवं HLNHFLLKW0016883**	मोहल्ला और ग्राम भुहर, वार्ड-हैदरगंज, तहसील और जिला-लखनऊ में स्थित खसरा नंबर 78, मिन के तहत प्लॉट नंबर 09 पर बना घर, जिसका एरिया 55.762 वर्ग मीटर है। सभी अधिकारों के साथ (जिसमें कॉमन एरिया, सुविधाओं, सुख-सुविधाओं, डेवलपमेंट राइट्स आदि (जैसा लागू हो) का उपयोग और कब्ज़ा करने के अधिकार और उनसे जुड़ी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। सीमाएँः– पूर्वः प्लॉट नंबर 08, पश्चिमः प्लॉट नंबर 10, उत्तरः 18 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः आराज़ी दिगर (अन्य ज़मीन)	13-07-2026 और 09/07/2026	10/07/2026 तक रु. 4,52,238/– (चार लाख बावन हज़ार दो सौ अड़तीस रुपये मात्र) और रु. 2,01,157/– (दो लाख एक हज़ार एक सौ सत्तावन रुपये मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऋणदाता को उक्त राशि का भुगतान करें, साथ ही भुगतान तक उस पर अर्जित/अर्जित होने वाले ब्याज, लागत, व्यय आदि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर, ऋणदाता अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा। कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित ऋणदाता को उपलब्ध शक्तियों में अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से स्थानांतरित करने के अधिकार सहित सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने की शक्तियां शामिल हैं, सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रबंधक के रूप में नियुक्त करना और किसी भी व्यक्ति को जिसने उधारकर्ता से कोई भी सुरक्षित परिसंपत्ति अर्जित की है और जिससे कोई भी धन उधारकर्ता को देय है या हो सकता है, सुरक्षित ऋणदाता को उतनी धनराशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जो सुरक्षित ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हो। अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने, निपटाने या उनसे निपटने से रोका/निषिद्ध किया जाता है।

हस्ता./–
दिनांक-30-07-2026 — प्राधिकृत अधिकारी पीपल होम फाइनेंस लिमिटेड
स्थान- दिल्ली — (पहले कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)

प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड
Protium
(पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय का पताः 7वीं मंजिल, ब्लॉक बी2, फेज-I, निरलॉन नॉलेज पार्क, पहाड़ी गांव, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कामा इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063, महाराष्ट्र

सार्वजनिक सूचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के तहत) वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस की सेवा प्रतिस्थापित

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि चूंकि उन्होंने प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के रूप में जाना जाता था और उससे पहले ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) से उनके द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए उनकी ऋण क्रेडिट सुविधा को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीएफसी की पुस्तकों में गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, एनबीएफसी ने उक्त उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पतों पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (एसएआरएफएईएसआई अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबंधित उधारकर्ता को मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसके तहत उनसे संबंधित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, हालाँकि, यह सेवा हमारे द्वारा इस प्रकाशन के माध्यम से सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("[illegible] नियम) के नियम 3 के अनुसार भी की जा रही है।

ऋण खाता संख्या /उधारकर्ता और सह उधारकर्ता/ओं का नाम और पता	13(2) सूचना की तारीख	एनपीए की तारीख
	नीचे दी गई तारीख पर कुल बकाया राशि (भा.रु.)	
ऋण खाता सं. : **GS092EEL2483861**	03.07.2026	01.07.2026
(उधारकर्ता) 1. अनिका ज्वेलर्स, इसके प्रोपराइटर हनी जादौन (पिताः सुरेंद्र सिंह जादौन) के माध्यम से। पताः मुन्नू खेड़ा आवास विकास कॉलोनी, दुर्गा कॉम्प्लेक्स, पारा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226017 **(उधारकर्ता 1.), (सह-उधारकर्ता) 1. सुशीला देवी (पतिः सुरेंद्र सिंह जादौन)**। पताः 425, सराय शेख, इटावा, उत्तर प्रदेश – 206001 **(सह-उधारकर्ता 1.)** **2. हनी जादौन (पिताः सुरेंद्र सिंह जादौन)**,पताः मुन्नू खेड़ा गणपति विहार कॉलोनी, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226017 **(सह-उधारकर्ता 2.)**	03.07.2026 तक 33,17,845.38/– रुपये (तैंतीस लाख सत्रह हज़ार आठ सौ पैंतालीस रुपये और अड़तीस पैसे मात्र) और साथ ही वसूली की तारीख तक अनुबंध की दर से भविष्य का ब्याज।	

सुरक्षित संपत्ति का विवरणः ग्राम– पारा, वार्ड– आलम नगर, तहसील लखनऊ में स्थित प्लॉट नंबर 3 (खसरा नंबर 2504 का हिस्सा) का समस्त टुकड़ा एवं अंश, जिसका क्षेत्रफल 139.405 वर्ग मीटर है। पूर्वः 12 फीट चौड़ी सड़क; पश्चिमः प्लॉट नंबर 2; उत्तरः प्लॉट नंबर 4; दक्षिणः 20 फीट चौड़ी सड़क। साथ ही इससे जुड़े सभी अन्य अधिकार, इमारतें, सुधार और सुखाचार भी शामिल हैं।

हम यहां उल्लिखित उधारकर्ता से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर, जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में विशेष रूप से उल्लिखित बकाया राशि, उस पर आगे ब्याज और लागत, शुल्क, खर्च आदि सहित हमें भुगतान करने के कहा गया था, ऐसा न करने पर हम उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति(ओं)/अचल संपत्ति(यों) के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो कि उधारकर्ता(ओं)/सह उधारकर्ता(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी(ओं)/कानूनी प्रतिनिधि(ओं) के जोखिम पर पूरी तरह से आपके स्वयं के खर्च और परिणामों पर सुरक्षित संपत्ति को कब्जे में लेने और बेचने तक सीमित नहीं है।
कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित दंड प्रावधानों को लागू करेगा।
कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के अनुसार, यदि प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड(पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की बकाया राशि, प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड(पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ, बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड(पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)को सौंप दी जाती है, तो सुरक्षित संपत्ति प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड(पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, और प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड(पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)द्वारा उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनांकः 31.07.2026, स्थानः लखनऊ — हस्ताक्षरकर्ता/–, कृते प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी

सांकेतिक कब्जा सूचना
ICICI Home Finance
पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051
कॉर्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई- 400059
शाखा कार्यालय : पहली मंज़िल, खसरा नं. 700, सरसवां परगना, अर्जुनगंज, भाटिया बेकरी और एक्सिस बैंक के पास, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002.
शाखा कार्यालय : 302, 303, 304, तीसरी मंजिल, एल्डिको कॉर्पोरेट चैंबर III, टीसी 58वी, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

जबकि
अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान के लिए निम्नलिखित कर्जदारों को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं।
कर्जदारों द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण कर्जदारों एवं जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है। व्यक्तिगत रूप से कर्जदारों और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और अचल सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।
कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विमोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम/ऋण खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण/ कब्जे की तिथि	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना की राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	अफरोज एस खान (कर्जदार), शमा शाहीन (सह-कर्जदार), मकान नंबर 1 रीडम होम अलनपुरी कॉलोनी कन्हैया माधोपुर दुबग्गा अलनपुरी कॉलोनी कन्हया लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश 226003 लखनऊ 226003, LHLKS00001396705	खसरा संख्या 42 और 43, कन्हैया माधोपुर वार्ड, लखनऊ 226003, उत्तर प्रदेश में स्थित मकान संख्या 1. सीमाएँः उत्तर में 25 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण में मनोज गुप्ता का घर, पूर्व में वाहिद का घर, पश्चिम में 12 फीट चौड़ी सड़क।/कब्जा प्राप्त करने की तिथिः 29-07-2026	13-05-2026 रु. 25,82,178.99/-	लखनऊ-दक्षिण
2.	रोहित सिंह (कर्जदार), रूपा (सह-कर्जदार), पार्क रोड लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश, LHLUC00001621877	ग्राम दाउद नगर, वार्ड फजुल्लागंज, लखनऊ 226020, उत्तर प्रदेश में स्थित खसरा संख्या 404 के भाग, प्लॉट संख्या 3-बी पर निर्मित मकान। सीमाएँः उत्तर में प्लॉट संख्या 3-ए, दक्षिण में प्लॉट संख्या 4, पूर्व में दिगर का घर, पश्चिम में 20 फीट चौड़ी सड़क/कब्जा प्राप्त करने की तिथिः 29-07-2026	13-05-2026 रु. 15,47,096.98/-	लखनऊ
3.	विपिन कुमार पांडे (कर्जदार), गीता पांडे (सह-कर्जदार), ईडब्ल्यूएस-1/569 सेक्टर 4, जानकीपुरम जानकीपुरम लखनऊ 226021 उत्तर प्रदेश, LHLUC00001396988	ग्राम फर्रुखाबाद परगना, बख्शी का तालाब, लखनऊ 226021, उत्तर प्रदेश में स्थित मकान संख्या 39. सीमाएँः उत्तर में घर मकान संख्या 40, दक्षिण में मकान संख्या 38, पूर्व में 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में मकान संख्या 62/कब्जे की तिथि 29-07-2026	13-05-2026 रु. 4,92,221/-	लखनऊ
4.	विपिन कुमार पांडे (कर्जदार), गीता पांडे (सह-कर्जदार), ईडब्ल्यूएस-1/569 सेक्टर 4, जानकीपुरम जानकीपुरम लखनऊ 226021 उत्तर प्रदेश, LHLUC00001396989	मकान संख्या 39, ग्राम फर्रुखाबाद, परगना, बख्शी का तालाब, लखनऊ 226021, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी सीमाएँ : उत्तर में मकान संख्या 40, दक्षिण में मकान संख्या 38, पूर्व में 20 फीट चौड़ी सड़क और पश्चिम में मकान संख्या 62 से लगती हैं/कब्जे की तिथि 29-07-2026	13-05-2026 रु. 19,367.22/-	लखनऊ
5.	ज्योति शर्मा (कर्जदार), 532केए/142डी पांडे टोला आलीगंज लखनऊ 226024 उत्तर प्रदेश, LHLUC00001625596	खसरा संख्या 3 मिन के एक भाग पर बना मकान, ग्राम लोहरामऊ, वार्ड फैजुल्लागंज, तहसील और जिला लखनऊ 226020, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी सीमाएँ उत्तर में प्रेमवती प्लॉट, दक्षिण में खसरा का भाग, पूर्व में खसरा का भाग और पश्चिम में 20 फीट चौड़ी सड़क से लगती हैं/कब्जे की तिथि 29-07-2026	13-05-2026 रु. 18,32,119/-	लखनऊ
6.	ज्योति शर्मा (कर्जदार), 532केए/142डी पांडे टोला आलीगंज लखनऊ 226024 उत्तर प्रदेश, LHLUC00001625637	लोहरामऊ वार्ड गांव में स्थित खसरा संख्या 3 मिन के एक भाग पर निर्मित मकान फैजुल्लागंज तहसील और जिला लखनऊ 226020 उत्तर प्रदेश - सीमाएँः उत्तर में प्रेमवती का प्लॉट, दक्षिण में खसरा का हिस्सा, पूर्व में खसरा का हिस्सा, पश्चिम में 20 फीट चौड़ी सड़क / कब्जे की तारीख 29-07-2026	13-05-2026 रु. 71,361.18/-	लखनऊ

उपर्युक्त कर्जदारों/गारंटरों को एतद्वारा राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के तहत गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारी/से 30 दिनों की समाप्ति पर बेचा जाएगा।

तिथि : 31 जुलाई, 2026 — अधिकृत प्राधिकारी,
स्थान : लखनऊ — आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
ब्रांच ऑफ यूनिटः 15/102ए, द्वितीय तल, ऊनी बाजार, मदार गेट, आगरा रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001

ई-नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित।
आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता (ओं)/गारंटर (ओं) को सूचित किया जाता है कि गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे अधिनियम के अनुसार "सुरक्षित लेनदार" कहा गया है) के पास गिरवी रखी गई नीचे वर्णित अचल संपत्तियों का कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसार ले लिया गया है।
सुरक्षित संपत्तियां ई-नीलामी के माध्यम से को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ है' के आधार पर बेची जाएंगी। इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया जीएचएफएल/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी www. grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

क्रं. सं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम {ए}	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि {बी}	कब्जे की प्रकृति {सी}	संपत्ति का विवरण {डी}	आरक्षित मूल्य {ई}	ईएमडी (आरपी का 10 प्रतिशत) {एफ}	ईएमडी जमा करने की तारीख {जी}	वृद्धिशील बोली {एच}	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय {आई}	नीलामी की तारीख और समय {जे}	बाधाएँ/न्यायालय मामले, यदि कोई ज्ञात हों तो {के}
1	ऋण संख्या HL00669000000005038 892 पप्पू पुत्र इमामी खान (उधारकर्ता) गुड्डी राजू (सह-उधारकर्ता)	नोटिस दिनांकः 10-09-2025 कुल बकाया राशिः रु. 811070/– (रुपये आठ लाख ग्यारह हजार सत्तर मात्र) 10-09-2025 तक देय है, साथ ही वसूली होने तक 15.6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।	भौतिक	सभी टुकड़ा एवं पार्सल भूमि, प्लॉट क्षेत्रफल 100 वर्ग गज = 83. 61 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 350/4 एवं 351/1 के भाग में स्थित, मौजा सपेरा भानपुर, परगना एवं तहसील कोल, जिला अलीगढ़ में स्थित है, **जिसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं:** पूर्वः 39.16 फीट माप, प्लॉट सलमा बेगम के बाद। पश्चिम: 40.58 फीट माप, विक्रेता के प्लॉट के बाद। उत्तरः 22.57 फीट माप, लाला की भूमि के बाद। दक्षिण: 22.57 फीट माप, 18 फीट चौड़ी सड़क के बाद।	रु. 650000/ (रुपये छह लाख पचास हजार मात्र)	रु. 65000/ (रुपये पैंसठ हजार मात्र)	17-08-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/–	10-08-2026 सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	18-08-2026 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य
2	ऋण संख्या HL0063010000000504650 4 प्रभात बाजपेई (उधारकर्ता) प्रभांशु बाजपेई (सह-उधारकर्ता) जया बाजपेयी	नोटिस दिनांकः 09-04-2025 कुल बकाया राशिः रु. 4155102/– (रुपये इकतालीस लाख पचपन हजार एक सौ दो मात्र) 09-04-2025 तक देय है, साथ ही वसूली होने तक 14.35% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।	भौतिक	संपूर्ण वह टुकड़ा और पार्सल मकान संख्या 5, भूखंड संख्या 65,66,73,74 का भाग, खसरा संख्या 9 के मिनजुमला पर निर्मित, स्थित देविरिया, जिला लखनऊ, कुल क्षेत्रफल 1246 वर्ग फीट, अर्थात 115.799 वर्ग मीटर। **सीमाएं इस प्रकार हैं–** पूर्वः अन्य भवन पश्चिमः 25 फीट चौड़ी सड़क उत्तरः खाली प्लॉट दक्षिण: 25 फीट चौड़ी सड़क	रु. 4148813/ (रुपये इकतालीस लाख अड़तालीस हजार आठ सौ तेरह मात्र)	रु. 41488130/ (रुपये चार लाख चौदह हजार आठ सौ इक्यासी और तीस पैसे मात्र)	28-08-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/–	10-08-2026 सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	31-08-2026 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य
3	ऋण संख्या HL00630100000005033014 रेशमा गौतम (उधारकर्ता) मुकेश कुमार गौतम (सह-उधारकर्ता)	नोटिस दिनांकः 09-10-2025 कुल बकाया राशिरु. 773312/– (रुपये सात लाख तिहत्तर हजार तीन सौ बारह मात्र) 09-10-2025 तक देय है, साथ ही वसूली होने तक 16.6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।	भौतिक	सम्पूर्ण वह अंश एवं भू-भाग जो प्लॉट नं.-14-ए पर स्थित मकान है, जो खसरा नं.-350 के भाग पर निर्मित है, ग्राम मल्हपुर, वार्ड-हैदरगंज, तहसील एवं जिला लखनऊ में स्थित है। क्षेत्रफल 27. 881 वर्ग मीटर। **सीमाएं:** पूर्व – राम जानकी साहू का मकान, जिसे पूनम गौतम द्वारा विक्रय किया जा चुका है। पश्चिम – मोहम्मद यासीन का मकान। उत्तर – राम सरन का खेत। दक्षिण – 15 फीट चौड़ी सड़क।	रु. 702450/ (रुपये सात लाख दो हजार चार सौ पचास मात्र)	रु. 70245/ (रुपये सत्तर हजार दो सौ पैंतालीस मात्र)	28-08-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/–	10-08-2026 सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	31-08-2026 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी जांच करें और अतिरिक्त शुल्क, ऋणभार और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करें। संपत्ति से जुड़े सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी का बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।
इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है और नीलामी सेवा प्रदाता) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पता– प्लॉट नंबर-68 तीसरी मंजिल गुड़गांव हरियाणा-122003 से लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है। हेल्पलाइन नंबर– 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी - Support@bankeauctions.com, **संपर्क व्यक्ति -धरनी पी, ईमेल आईडी– dharani.p@c1india.com संपर्क नंबर– 9948182222**। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उनसे ही ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को "गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड", बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड – नीलामी आय खाता", बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के खाते में जमा करनी होगी। खाता संख्या– 091551000028 और IFSC कोड– ICIC0000915 शाखा पता – आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर – 411014 किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक में उससे पहले खींचे और अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पंजीकृत करें और मुफ्त में उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर उनके पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करने, ई-मेल करने और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी को पते पर भेजने की आवश्यकता होती हैः 15/102, दूसरी मंजिल, वूलन मार्केट, मदार गेट, आगरा रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202001 मोबाइल नंबरः +91 8281138143 ईमेल आईडीः p.adith@grihumhousing.com नियम व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया ई-नीलामी में भाग लेने के लिए https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएं।
इस नोटिस को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को दिया गया 15/30 दिनो (तीस) का नोटिस भी माना जाना चाहिए।

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की विवरण में कोई अंतर है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की विवरण मान्य होगी।

दिनांकः 31.07.2026 स्थानः : उत्तर प्रदेश — हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,